न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा **आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/181/2023
सी एन आर नंबर :- RJBD140003342023

निर्णय दिनांकः- 27.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 105/2023 अन्तर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**रामचरण** पुत्र छोटूलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजेन्द्र कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	09.06.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	09.06.2023
आरोप पत्र की तिथि	07.10.2023
आरोप के विरचना की तिथि	07.10.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	11.12.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	27.03.2026
निर्णय की तिथि	27.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**रामचरण**	-	-	धारा 354 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	बीना	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	श्योजीलाल	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	सुरजन	नक्शामौका साक्षी

अभियोजन साक्षी-4	सीमा	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	रामदयाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	कन्हैयालाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	बाबूलाल	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	बृजेन्द्र सिंह	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–3
2.	प्रदर्श पी-2	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–4, 7
3.	प्रदर्श पी-3	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–4
4.	प्रदर्श पी-4	बयान 164 सीआरपीसी	अभि. साक्षी–4
5.	प्रदर्श पी-5	मुलजिम नोटिस	अभि. साक्षी–8

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थीया सीमा द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 105/2023 दर्ज

कर अपराध अन्तर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थीया द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जबरन दुष्कर्म की रिपोर्ट दे रखी है जिसमें मुकदमा चल रहा है और तब से उक्त व्यक्ति प्रार्थीया को मारने पर आमदा है। दिनांक 09.06.2023 को समय करीब दिन के 02.00 बजे प्रार्थीया पंचायत के द्वारा बनाये जा रहे इन्टरलॉकिंग कार्य में छुट्टी के दौरान घर पर खाना खाकर वापस काम पर जा रही थी तब रामचरण ने प्रार्थीया को अकेला देखकर जबरन रोक व उसका हाथ पकड़कर उसे पकड़ लिया और धमकी देने लगा कि कोर्ट में उसके विरुद्ध बयान दिये तो वह उसे छोडेगा नहीं। मौके पर रामचरण के पिता छोटूलाल आ गये और वह गाली–गलौच करते हुए उसके पीछे भागने लगे तो वह गिर गया जिससे उसके चोट लगी और जान से मारने की धमकी देकर गया..इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 105/2023 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 354 भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 बीना, पी.ड02 श्योजीलाल, पी.ड03 सुरजन, पी.ड04 सीमा, पी.ड05 रामदयाल, पी.ड.06 कन्हैयालाल, पी.ड.07 बाबूलाल, पी.ड.08 बृजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.05 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2023 को समय 02.00 पीएम या उसके लगभग स्थान ग्राम देवपुरा में रामपाल के खेत के सामने स्थित कच्चे रास्ते पर परिवादिया सीमा की लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 बीना ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.06.2023 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ मे कानि के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मुकदमा न 105/2023 धारा 354,504,34 भा.दं.सं. मे पीडिता सीमा, कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी देवपुरा थाना इन्द्रगढ के बयान उसके कहे अनुसार लिये थे। उक्त मुकदमे की तफतीश बृजेन्द्र सिंह हेड कानि के पास थी। उनके निर्देशन मे मैने बयान लिये थे।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 श्योजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीबन डेढ साल पहले की बात है। पुलिस घ ाटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 मेरे सामने बनाया था। जो सीमा के घर के सामने का बनाया था। यह कहना नक्शा मौका सीमा के साथ रामचरण ने छेडछाड की थी उसका नक्शा मौका बनाया था।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 सुरजन ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीबन डेढ साल पहले की बात है। दो ढाई बजे

की बात है। मै घर से आ रहा था और भैंस को चारा निरने जारहा था। सीमा बाई व रामचरण के बीच हाथापाई हुई थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 मेरे सामने बनाया था जिस पर एक्स स्थान पर मेरी अंगुठा निशानी है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 सीमा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि करीबन दो साल पहले की बात है। दिन के दो बजे की बात है। हमारे गांव में रोड पर इंटरलोकिंग का कार्य चल रहा था, मैं अपने घर पर से खाना खाकर वापस काम पर जा रही थी। जैसे ही मै छोटु बागडी के मकान के सामने पहुंची वहा पर ठाकुर जी का मंदिर भी है, मुझे वहा रामचरण मिला जिससे हमारे पहले भी केस चल रहा है। रामचरण के विरूद्ध मेने पहले बलात्कार संबंधी मुकदमा दर्ज करा रखा है जिसमें वह तीन महिने जेल भी रहकर आया है। रामचरण ने मुझसे कहा कि मेरे खिलाफ बयान मत देना, बयान देगी तो जान से खत्म कर दुगां ऐसा कहकर उसने मेरा हाथ पकड लिया। फिर रामचरण के पिता छोटू भी वहा पर आ गया जो मेरे साथ जाटम जूटटा हो गया तो उसमें छोटू के भी चोट लग गयी थी। फिर मै बडी मुश्किल से घर पर आयी और मेने अपने भाई रामदयाल को फोन करके पुरी घटना बतायी। फिर मेने मेरे भाई के साथ आकर घ ाटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। मेरे द्वारा दर्ज करायी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.01 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी.04 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 रामदयाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब दो साल पूर्व की बात है, तारीख मुझे याद नही है। मै उनियारा सरसों बेचने गया था। मेरी बहिन सीमा का दिन में मेरे पास फोन आया था, उसने बताया कि मेरी बहिन सीमा पंचायत के इन्टरलोकिग के काम करने जा रही थी। रास्ते में रामचरण ने उसका हाथ पकड लिया उसे उसके खिलाफ बयान नही देने की धमकी दी। सूचना मिलने पर मै इन्द्रगढ़ आया जहां मुझे सीमा मिली, सीमा ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। सीमा ने रामचरण के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा रखा है, उसी में बयान नही देने की धमकी देकर रामचरण ने सीमा का हाथ पकडा था।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 कन्हैयालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब दो साल पूर्व की बात है, तारीख मुझे ध्यान नही है। मेरी घरवाली सीमा पंचायत में इंटरलोकिग का कार्य करने जा रही थी। वह दिन के 1 बजे के करीब घर पर खाना खाने वापस आ रही थी, रास्ते में रामचरण जिसने शराब पी रखी थी। जिसके खिलाफ हमने पहले भी मुकदमा दर्ज करवा रखा है, चारभुजाजी मंदिर के पास खडा था, जिसने सीमा का हाथ पकड लिया और पूर्व मुकदमे में बयान नही देने को कहा। बयान देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। मै उस समय मौके पर न होकर ट्रक ड्राईवर का काम कर रहा था। सीमा ने मुझे फोन करके घटना की जानकारी दी। फिर थाने पर जाकर हमने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 को थाना इन्द्रगढ़ पर इंचार्ज थाना ए.एस.आई के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिनांक को प्रार्थीया सीमाबाई ने अपने भाई रामदयाल के साथ उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा संख्या 105/2023 अर्न्तगत धारा 354,504,34 भा.दं.सं में दर्ज कर अनुसंधान श्रीबृजेन्द्रसिंह 447 के सुपुर्द किया। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी.03 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है एवं ई से एफ रामदयाल के हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.02 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 बृजेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 09.06.2023 को थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 105/2023 अर्न्तगत धारा 354 भा.द.स. का अनुसंधान श्री बाबूलाल ए.एस.आई द्वारा मुझे सुपुर्द किया गया था। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा बयान रामदयाल, कान्हा उर्फ कन्हैयालाल, सूरजन के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम रामचरण पुत्र छोटू निवासी देवपुरा के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 354 भा.दं.सं. में प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ साहब को सुपुर्द की थी।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का यदि समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो फरियादिया को पी.ड.04 के रूप में परीक्षित कराया है,

जिसने जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी.02 में मुलजिम ने मेरा कौनसा हाथ कहा से पकडा था यह मेरे को आज पता नहीं है। यह कहना सही है कि **हमारे खिलाफ जो मुकदमा मुलजिमान ने कर रखा है उससे बचने के लिए मैंने यह मुकदमा किया है। ऐसे में स्वयं फरियादी अपनी जिरह में अंत में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा मुलजिम ने कर रखा है, उससे बचने के लिए यह मुकदमा किया गया है** एवं फरियादिया के विरुद्ध अभियुक्त रामचरण के द्वारा एक एफआईआर संख्या 106/2023 दिनांक 09.06.2023 को ही दर्ज करवायी गई है। जिसमें घटना 01.00 बजे की बतायी गई है एवं यह घटना 02.00 बजे की बताते हुए फरियादीया के द्वारा कथन किया गया है। गवाह पी.ड.02 श्योजीलाल ने जिरह में कथन किया है कि सीमा के मकान से मेरा मकान तीन मकान छोड़कर है। सीमा मेरे छोटे भाई की घरवाली है। यह कहना सही है कि सीमा, कन्हैयालाल, रामपाल पुत्र मोडूलाल आदि पेशी में आते है और इनके खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है। पी.ड.03 सुरजन ने जिरह में कथन किया है कि मैं सीमा का काका ससुर लगता हूं। मैं नक्शामौका नहीं समझता हूं। प्रदर्श पी.01 पर मैंने अगूंठा खाली कागज पर लगाया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मेरे को पता नहीं है। यह मैं पहली बार देख रहा हूं। प्रदर्श पी.01 में सीमा का मकान नहीं दर्शाया गया है।

18. ऐसे में फरियादिया की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.03 ने जिरह में मारपीट करने का कथन कर रहा है लेकिन वह अपने मुख्य परीक्षण में सीमा बाई व रामचरण के बीच हाथापाई होने के संबंध में कथन कर रहा है एवं उक्त गवाह फरियादिया का काका ससुर लगता है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है, इस प्रकार हितबद्ध साक्षी है एवं उक्त गवाह ने अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जिरह में कथन किया है कि मैं नक्शामौका नहीं समझता हूं। **प्रदर्श पी.01 पर मैंने अगूंठा खाली कागज पर लगाया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मेरे को पता नहीं है, यह मैं पहली बार देख रहा हूं।** प्रदर्श पी.01 में सीमा का मकान नहीं दर्शाया गया है। यह कहना सही है कि मैं सीमा का काका ससुर लगता हूं इसलिए बयान देने आया हूं। गवाह पी.ड.06 कन्हैयालाल ने जिरह में कथन किया है कि मेरे व मेरी पत्नी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिसमें आज तारीख है। मैं ट्रक ड्राईवर का काम करता हूं। अक्सर बाहर रहता हूं। मुझे कौनसी तारीख को किस नंबर से फोन किया यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने रामचरण के खिलाफ कौनसे

महीने व तारीख में दर्ज करवाया यह मुझे याद नहीं है। **मैंने सीमा का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा, मैंने सीमा के हाथ पर किसी तरह की कोई चोट नहीं देखी। मेरे थाने में बयान नहीं हुए। घटना के दिन मैंने रामचरण को सीमा को रोकते हुए नहीं देखा।** इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश करके परीक्षित नहीं कराया है एवं जो सभी गवाह परीक्षित हुए हैं वे सभी एक ही परिवार के सदस्य है जो कि हितबद्ध साक्षी है। यदि अभियुक्त के द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट की भी गई होती या हाथ पकड़कर लज्जा भंग की गई होती तो वहां मौजूद आस–पडोस में किसी व्यक्ति द्वारा उक्त लड़ाई के बारे में देखा या सुना अवश्य होता किन्तु इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसे किसी स्वतंत्र गवाह को परीक्षित नहीं कराया है जो वक्त घटना वहां मौजूद रहा हो एवं **स्वयं फरियादिया अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार कर रही है कि उसने यह मुकदमा बचने के लिए दर्ज करवाया है।** ऐसे में उक्त मामला प्रथमदृष्टया आपसी लड़ाई–झगड़े का प्रतीत होता है। अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध साबित करने में विफल रहा है।

19. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 354 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.06.2023 को समय 02.00 पीएम या उसके लगभग स्थान ग्राम देवपुरा में रामपाल के खेत के सामने स्थित कच्चे रास्ते पर परिवादिया सीमा की लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 354 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: **<u>आदेश</u>** ::

20. परिणामस्वरूप **अभियुक्त रामचरण पुत्र छोटूलाल गुर्जर उम्र 31 साल निवासी देवपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

21. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की

जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करें।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

22. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़